2nd time

जिला बाल कल्याण परिषद ,रेवाड़ी ।

खुली बोली मे भाग लेने के लिये नियम एव शर्तें:-

1. तहसील परिसर, रेवाड़ी में पार्किंग के लिए खुली बोली दिनांक 02.07.2024 को प्रातः 11 बजे बाल भवन, रेवाड़ी में होगी। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन दिनांक 01.07.2024 तक बाल भवन, मॉडल टाऊन, रेवाड़ी कार्यालय में 15000/- रूपये अमानत राशि के बैंक ड्राफ्ट (जिला बाल कल्याण परिषद, रेवाड़ी के नाम से) के साथ जमा करवाकर बोली में भाग ले सकता है। नियम एवं शर्तें कार्यालय web site:wwwdccwrewari.com.पर उपलब्ध है।
2. सफल बोली दाता द्वारा मौके पर ही पहली तिमाही किश्त एवं बकाया 35000/- रूपये सिक्योरिटी राशि भी जमा करवानी होगी। अगर प्रथम बोलीदाता किश्त जमा नही करवाता है तो जमा सिक्योरिटी राशि ज़ब्त कर दूसरे नंबर के बोलीदाता के नाम बोली छोड़ दी जायेगी। बकाया तिमाही किश्त तीसरे माह के अंतिम सप्ताह में जमा करवानी होगी।

अन्य नियम व शर्तें:-

1. तहसील परिसर, रेवाड़ी पार्किंग की बोली एक वर्ष के लिये छोड़ी जायेगी।
2. सफल बोलीदाता को बतौर अमानत राशि पचास हजार रूपये (*refundable)* का ड्राफ्ट जिला बाल कल्याण परिषद, रेवाड़ी के नाम से जमा करवाना होगा।
3. पार्किंग की बोली 7500/- रूपये प्रति माह किराये से शुरू होगी।
4. निर्धारित किराया तिमाही आधार पर अग्रिम तौर पर जमा करवाना होगा अन्यथा सिक्योरिटी राशि जब्त करके अलोटमेंट रद्द कर दी जायेगी। किराये पर जीएसटी सरकार की हिदायत अनुसार देना होगा। पार्किंग एक वर्ष के लिये दी जायेगी। यदि किरायेदार आगे रखने का इच्छुक होगा तो 10% बढ़ोतरी के साथ आगामी वर्ष के लिये दोनों (किरायेदार एवं परिषद) की सहमति पर किरायानामा बढ़ाया जा सकेगा। दोनों में से किसी की सहमति नही हुई तो उस सूरत में पार्किंग को दोबारा से अलोट करने की प्रक्रिया अमल में लाई जायेगी।
5. बोली स्वीकृत -अस्वीकृत करने का अधिकार कमेटी का होगा। किसी कारणवश बोली अस्वीकृत कर दी जाती है तो उस सूरत मे जमा सिक्योरिटी राशि पर कोई ब्याज नही दिया जायेगा।
6. साफ सफाई का प्रबंध पार्किंग के अलोटी द्वारा स्वयं अपने स्तर पर करवाना होगा।
7. पार्किंग किराया चार पहिया वाहन 20/-रूपये और दो पहिया वाहन 10/- रूपये होगा।
8. पार्किंग दोनों पक्षो द्वारा एक माह के लिखित नोटिस पर खाली की/करवाई जा सकती है एवं पार्किंग ठेका पूर्ण होने से पूर्व बगैर सुचना दिये स्वयं पार्किंग खाली करता है तो उसकी जमा सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. अलौटी द्वारा स्टाम्प पेपर पर किराये की शर्तो की अनुपालना हेतु शपथ पत्र देना होगा एवं एक इकरारनामा भी जिला बाल कल्याण परिषद, रेवाड़ी से करना अनिवार्य होगा।
10. पार्किंग बारे किसी प्रकार का *dispute* होता है तो उपायुक्त एवं प्रधान, जिला बाल कल्याण परिषद का फैंसला अंतिम होगा जोकि दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. अन्य शर्ते मौके पर बताई जायेगी।

Distt. Child Welfare Officer
Rewari.